23 (1) उपक्रमों के संगठनात्मक ढांचे में लोक उद्यमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की स्थिति

अधोहस्ताक्षरी को मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए 9 से 13 नवंबर, 1970 तक आयोजित किए गए तीसरे अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) पाठ्यक्रम में उक्त विषय पर की गई सिफारिश संख्या–7 तथा इस संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह को विभिन्न लोक उद्यमों की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन लोक उद्यमों की जानकारी में लाएं।

अनुबंध

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारी सीधे उपक्रमों के अध्यक्षों के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए तथा सतर्कता संबंधी सभी मामले, जिसमें जांच और कार्यवाही की जानी शामिल है, मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा निपटाए जाने चाहिए।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का परामर्श

जैसा कि अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) पाठ्यक्रम में सिफारिश की गई है, यह उचित होगा कि मुख्य सतर्कता अधिकार को उपक्रम के अध्यक्ष के विशेष सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए। तथापि कुछ ऐसे बड़े उपक्रम हो सकते हैं जैसे राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक जहां अध्यक्ष से नीचे महाप्रबंधक/निदेशक (कार्मिक) होता है। चूंकि महाप्रबंधक और निदेशक बहुत वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, इसलिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को अध्यक्ष अभिरक्षक के अधीन काम करने की बजाय महाप्रबंधक और निदेशक के अधीन काम करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तथापि, ऐसे मामलों में मुख्य सतर्कता अधिकारी की उपक्रम के शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों तक पहुंच होनी चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों/विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारी, जो सामान्य ''उप–सचिव'' होता है, संयुक्त सचिव के माध्यम से मंत्रालय के सचिव को कागजात प्रस्तुत करता है। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रमों का मुख्य सतर्कता अधिकारी शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों से निचले वरिष्ठ अधिकारियों के अधीन कार्य कर सकता है।

(बी पी ई का 1 अप्रैल, 1972 का का. सं. 2(157)/71 बी पी ई (जी ए–1)